

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.
	GoI (MoEF) से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र।	1-10
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति।	11-12
3	वन क्षेत्र विवरण।	13-17
4	गैर वनक्षेत्र विवरण।	18
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।	19-22
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	23-88
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव।	89-95
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।	96-98
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र।	99
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही।	100
11	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा।	101-112
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र।	113
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	114-117
14	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)।	118
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में।	119
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में।	120
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	121
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र	122-123

	क्रमांक / F.No.11-9 / 1998 दिनांक 3 / 8 / 2009)।	
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू -प्र / 1317 दिनांक 25 / 05 / 2007)।	124-126
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख	
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ-7-22 / 2009 / 10-2 दिनांक 31 / 07 / 2009।	127-128
21	राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा।	129

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

आवेदक विभाग का मांग पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि कुल रकबा 8.806 हे. वनभूमि आवश्यक है। जिसका मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

आरक्षित वन - 2.991 हैं.

संरक्षित वन - 4.541 हैं.

नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं.

राजस्व वन - 0.329 हैं.

आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे की मांग की गई है।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 परियोजना विवरण :-

i. अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है।

ii. 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

iii. परियोजना की लागत।

85 करोड़ 79 लाख

iv. वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

v. लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

आवश्यकता नहीं है।

vi. रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

आवश्यकता अनुसार।

2 कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

आरक्षित वन	—	2.991 हैं.
संरक्षित वन	—	4.541 हैं.
नारंगी क्षेत्र	—	0.945
राजस्व वन	—	0.329 हैं.
रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित		
कुल वनभूमि	—	8.806 हैं.

3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

नहीं है।

i. परिवार की संख्या।

निरंक

ii. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक

iii. पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

नहीं है।

4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

नहीं है।

5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

आवश्यकता नहीं है।

6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

- (i). Proposal No. : FP/CG/OFC/45093/2020
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Project Phase II Raigarh Forest Division
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Forest Land required for Optical Fibre Cable Laying works under National Optical Fibre Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Blocks to Gram Panchayats. Optical Fibre Cable Laying from Baramkela, Tamnar and raigarh Block Headquarter to Gram
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). Category of the Project : Optical Fibre Cable
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 8580
- (viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(In ha.): 8.806
- (ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 37.519
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 20

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : CHIPS
- (ii). Address1 : Chhattishgarh Infotech Promotion Society
- (iii). Address2 : 3rd Floor, State Data Center Building, Civil Lines Raipur Chhattishgarh
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). District : Raipur
- (vi). Pin : 492001
- (vii). Landmark : Opp. New Circuit House
- (viii). Email address : ceochips@nic.in
- (ix). Landline Telephone No. : 771-4014158
- (x). Fax No. : 771-4066205
- (xi). Mobile No. : 9632444223
- (xii). Website (if any) : www.chips.gov.in
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Ravindra
- (ii). Middle Name: Kumar
- (iii). Last Name: Pateria
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: JCEO
- (vi). Address 1: CHIPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Chhattisgarh
- (ix). District: Raipur
- (x). Tehsil: NIL
- (xi). Pin: 492001
- (xii). Landmark: New Circuit house
- (xiii). Email Address: vivek.chandrakar@cgchips.in
- (xiv). Landline Telephone No.: 771-4014158
- (xv). Fax No.: 07714066205
- (xvi). Mobile No.: 9630742261
- (xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

- B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted in Past



S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Inprinciple	FP/CG/Others/32736/2018	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dated 26.05.2018	1.222	1.222	26 May 2018	
2	Inprinciple	FP/CG/Others/28811/2017	F-5-10/2018/10-2,Raipur Dt 19/06/2018	2.488	2.488	19 Jun 2018	
3	Inprinciple	FP/CG/Others/27433/2017	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dt.26.05.2018	0.854	0.854	26 May 2018	
4	Inprinciple	FP/CG/Others/27427/2017	F-5-15/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	1.588	1.588	28 Apr 2018	
5	Inprinciple	FP/CG/Others/27425/2017	F-5-11/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	3.959	3.959	28 Apr 2018	
6	Inprinciple	FP/CG/Others/27423/2017	F-5-12/2018/10-2,Raipur Dt.11/06/2018	2.014	2.014	11 Jun 2018	
7	Inprinciple	FP/CG/Others/27422/2017	F-5-9/2018/10-2,Raipur 28/04/2018	3.064	3.064	28 Apr 2018	
8	Inprinciple	FP/CG/Others/27420	F-5-08/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	2.383	2.383	28 Apr 2018	
9	Inprinciple	FP/CG/Others/27383/2017	F-5-16/2018/10-2,Raipur Dt. 28/04/2018	0.947	0.947	28 Apr 2018	

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Raigarh	8.806	37.519

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Raigarh	8.806	37.519

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Aamaghat	0.019	0.171
2	Aamgaou	0	0.07
3	Adbahal	0.311	0
4	Amakoni Bade	0.009	0
5	Amalipali	0.002	0
6	Ameri	0	0.314
7	Amlidih	0.126	0
8	Amoda	0.08	0.916
9	Aurabhatha	0	0.189
10	Badeamakoni	0	0.281
11	BADGAON	0.195	0.016
12	Bagbuda	0.386	0
13	Baghanpur	0	0.003
14	Baigindih	0.175	0.205
15	Balamgoda	0	0.095
16	Banai	0	0.127
17	Bangursia	0	0.008
18	Banora	0.126	0.207



19	Bansia	0	0.113
20	Bar	0	0.156
21	Baramkela	0	0.517
22	Bardaputi	0	0.019
23	Bargano	0	0.163
24	Barkaspali	0	0.171
25	Barlia	0	0.03
26	Barpali	0	0.241
27	Basanpali	0	0.127
28	Bayang	0	0.507
29	Bazarmuda	0	0.306
30	Behalidih	0	0.031
31	Belria	0	0.225
32	Benderchua (og)	0.031	0
33	Bengachi	0	0.415
34	Bhagara	0.114	0.1
35	Bhagora	0	0.154
36	Bhainsgarhi	0.148	0
37	Bhelwa tikra	0.023	0
38	Bhelwatikara	0	0.365
39	Bhikhampura	0	0.078
40	Bhulkurri	0.097	0.131
41	Bichinara	0.061	0
42	Bijna	0	0.447
43	Bilaigarh A	0	0.145
44	Bilaigarh B	0	0.338
45	Birnipali	0	0.428
46	Boirdadar (og)	0.046	0
47	Bonda	0	0.173
48	Borida	0	0.137
49	Budeli	0	0.638
50	Budia	0.089	0.086
51	Chantipali	0	0.016
52	Chewaripali	0	0.122
53	Chhirwani	0.113	0
54	Chhotejam pali	0.068	0
55	Chitwani	0	0.302
56	Chraipani	0	0.039
57	Chuhipali	0	0.408
58	Damdama	0.148	0
59	Danot	0.102	0
60	Dararma	0	0.267
61	Deogaon	0	0.298
62	Deori	0	0.092
63	Devgarh	0	0.304
64	Dhanagar	0	0.295
65	Dhanigaon	0.117	0.081
66	Dhaunra darha	0.144	0
67	Dhaurabhatha	0.05	0
68	Dholnara	0.026	0
69	Dhourabhantha	0	0.452
70	Dolesara	0.015	0.089
71	Dongaripali	0.062	0.104
72	Dongitrai	0	0.395
73	Dumarpali	0	0.292
74	Dumerpali	0	0.102
75	Gadgaon	0.025	0.287
76	Gare	0	0.16
77	Garhkurri	0.043	0
78	Gejamuda	0	0.153
79	Gerwani	0.297	0.072
80	Girhulpali	0	0.273
81	Gobarsingha	0	0.073
82	Gopalpur	0	0.226
83	Gorhi	0	0.067

84	Gourbahari	0	0.139
85	Gourdih	0.164	0.128
86	Hamirpur	0	0.212
87	Hattapali	0.17	0.065
88	Hinjara	0.115	0.054
89	Hirri	0	0.196
90	Jalgarh	0	0.13
91	Jamgaon	0.292	0.052
92	Jampali	0	0.024
93	Jampaly	0	0.092
94	Janjgir	0.05	0.225
95	Jarhidih	0.004	0
96	Jerekela	0	0.157
97	Jhal	0	0.847
98	Jharguda	0	0.092
99	Jharna	0	0.026
100	Jhinkabahal	0	0.098
101	Jhinkipali	0.131	0.128
102	Jirapali	0	0.018
103	Jivri	0.077	0.062
104	Jobro	0.008	0.082
105	Joganipali	0.256	0.087
106	Jorapali	0	0.041
107	Junwani	0.115	0
108	Jurda	0	0.241
109	Kacchar	0	0.046
110	Kachckoba	0.164	0.182
111	Kalmi	0	0.289
112	Kamrid	0	0.043
113	Kandola	0	0.175
114	Kandurpali	0	0.009
115	Kanta jhariya	0.086	0
116	Kantahardi	0	0.013
117	Kanthipali	0	0.17
118	Kapartunga	0	0.045
119	Karanpali	0.09	0.391
120	Karmagarh	0.017	0
121	Karpi	0.1	0.084
122	Karrakot	0	0.203
123	Karwahi	0.073	0
124	Kasdol	0	0.196
125	Kashichunwa	0	0.143
126	Katangpali B	0	0.257
127	Katangpalia	0	0.205
128	Kerajhar	0.198	0.012
129	Kesharchuan	0	0.242
130	Khairpur	0	0.144
131	Khamahariya	0.097	0
132	Khamharia	0	0.149
133	Kamhriya	0	0.293
134	Khuruslenga	0	0.063
135	Kokbahal	0	0.326
136	Kokdotarai	0	0.091
137	Kolaibahal	0	0.281
138	Kondkel	0	0.187
139	Kondtra	0	0.151
140	Kosampali	0	0.117
141	Kotara	0	0.159
142	Kotarlia	0	0.201
143	Kotmar	0	0.074
144	Koylana	0	0.049
145	Kudhurmauha	0.09	0
146	Kukurda	0	0.024
147	Kulba	0	0.104
148	Kumhari	0	0.245

149	Kunjemura	0	0.369
150	Kuramapali	0	0.087
151	Kushwabahari	0	0.136
152	Kusmura	0	0.169
153	Lakha	0	0.226
154	Lalpur	0.005	0.179
155	Lamidaraha	0.026	0
156	Lebdrha	0	0.261
157	Lendhara	0	0.074
158	Libra	0.008	0.192
159	Linjeer	0	0.019
160	Lipti	0	0.179
161	Lodhiya	0	0.072
162	Loing	0	0.159
163	Mahapalli	0	0.124
164	Maharajpur	0	0.112
165	Mahloi	0	0.184
166	Mahuapali	0	0.041
167	Manikpur	0.014	0.214
168	Manwapali	0.184	0.089
169	Milupara	0.132	0.018
170	Mudagaon	0.133	0
171	Muskura	0.183	0
172	Nandali	0	0.272
173	Nansia	0	0.158
174	Nawagaon	0.356	0.294
175	Nawapara	0	0.051
176	Noondarha	0	0.109
177	Noughata	0	0.172
178	Padigoan	0	0.051
179	Padkipahri	0.051	0
180	Panchadhar	0	0.073
181	Pandaripani E	0	0.029
182	Pandrepani W	0	0.021
183	Panjhar	0	0.092
184	Parsada	0.078	0.097
185	Naorangapur	0	0.126
186	Patelpali	0	0.498
187	Patrapali E	0	0.149
188	Pelma	0.126	0.034
189	Peta	0.085	0.058
190	Pihara	0	0.335
191	Porath	0	0.131
192	Punjlipathra	0.173	0
193	Rabo	0.126	0.064
194	Ranidih	0	0.039
195	Ratrot	0.064	0
196	Regada	0	0.14
197	Risora	0	0.009
198	Rodopali	0	0.21
199	Rohinpani	0.002	0
200	Sahasपुरi	0	0.391
201	Sakarboga	0	0.17
202	Sakartunga	0	0.225
203	Salheona	0	0.434
204	Salihabhantha	0	0.052
205	Samaruma	0.048	0
206	Sambalपुरi	0.14	0.084
207	Samkera	0	0.204
208	Sangitarai	0	0.1
209	Sapnai	0.003	0.035
210	Saraipali	0	0.066
211	Saraitola	0	0.107
212	Sarasmal	0	0.189
213	Saraypali	0.049	0.144

214	Sariya (NP)	0	0.037
215	Sarwani	0	0.093
216	Semikot	0	0.265
217	Siyarpali	0	0.192
218	Sonbala	0.139	0
219	Sukhapali	0	0.157
220	Sursi	0	0.055
221	Tamnar	0	1.363
222	Tangarghat	0	0.048
223	Taraimal	0.109	0.167
224	Taramalc	0	0.457
225	Tarapur	0	0.031
226	Tarekala	0.104	0.395
227	Tarpali	0	0.134
228	Taunsir	0	0.013
229	Tekapathar	0.006	0
230	Tilaipali	0.085	0
231	Ghoghara	0	0.231
232	Tilga	0.238	0.019
233	Marodarha	0	0.193
234	Raigarh Block.	0	0.566
235	Sardamal	0	0.269
236	Tipakhol	0.173	0
237	Uchchabhithi	0	0.295
238	Ujalpur	0.114	0
239	Urba	0.106	1.007
240	Urdana	0.031	0
241	Usroat	0	0.114
242	Bhatpur	0	0.041
243	Dabhara	0.015	0.324
244	Dulopali	0.011	0.041
245	Harradih	0.045	0
246	Vijaipur	0	0.104
247	Vishvaspur	0.099	0
248	Viswanathpali	0	0.2

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	ofc	8.806	37.519

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Raigarh										
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 8.806 (ii). : Linear (b). No. of Segments : One										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Segment wise details</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Segments</th> <th style="width: 45%;">Segment Area(in ha.)</th> <th style="width: 40%;">Kml File of Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">8.806</td> <td style="text-align: center;"> View File </td> </tr> </tbody> </table>		Segment wise details			Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	1.	8.806	View File
Segment wise details										
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments								
1.	8.806	View File								
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:										

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: No

(a). Reason for not providing such map NIL

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 25

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 30

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Laying of telephone/optical fibre lines

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Lidar/DGPS Survey Report
2		Project Approval Copy
3		LOI Issued To TPL
4		Letter to Collector Reg. FRA & NOC
5		Forest Area Statement
6		DD against Registration and Processing fees

Print page



रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति

Fw: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of
Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: Monitoring Cell <monitoring-tc@nic.in>

Sent: Tuesday, September 1, 2020 10:12 AM

To: Vivek Chandrakar <vivek.chandrakar@cgchips.in>

Subject: Fwd: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of
Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below has been successfully uploaded on the portal of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.

1. Proposal No. : FP/CG/OFC/45093/2020
2. Proposal Name : BharatNet Project Phase II Raigarh Forest Division
3. Category of the Proposal : Optical Fibre Cable
4. Date of Submission : 16/07/2020
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: Ravi
Mobile No.	: 9630742261
State	: Chhattisgarh
District	: Raipur
Pincode	: 492001
6. Area Applied (ha.) : 8.806

The proposal will be examined by the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 to assess its completeness.

(System Administrator)



*** This is a system generated email, please do not reply. ***



Reply Forward





कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-866/1536

रायपुर, दिनांक 19/08/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
रायगढ़ वन मंडल रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषय: - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharatnet Project Phase II Raigarh Forest Division "Forest Land required for Optical Fibre Cable Laying works under National Optical Fibre Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Blocks to Gram Panchayats. Optical Fibre Cable Laying from Baramkela, Tamnar and raigarh Block Headquarter to Gram Panchayats", area - 8.806 ha. - regarding

संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 16.07.2020 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 03/09/2020

-00-

विषयान्तर्गत Chhattishgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत BharatNet Project Phase-II Raigarh Forest Division "Forest Land required for Optical Fibre Cable Laying works under National Optical Fibre Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Blocks to Gram Panchayats. Optical Fibre Cable Laying from Baramkela Block Headquarter to Gram Panchayats" हेतु कुल क्षेत्र 8.806 हे. रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 18,000 = 24,000/- डी.डी की स्केन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/45093/2020 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-866/1537

रायपुर, दिनांक 19/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
- ACEO, Chhattishgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh - आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।
वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

वनक्षेत्र का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि कुल रकबा 8.806 हे. आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ आवेदित वन क्षेत्र					
क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित वन का रकबा (हे.)	संरक्षित वनका रकबा (हे.)	नारंगी क्षेत्र का रकबा (हे.)	कुल आवेदित का रकबा (हे.)
1	घरघोड़ा	0.066	0.36	0.797	1.223
2	खरसिया	0.463	--	--	0.463
3	रायगढ़	1.265	1.445	--	2.71
4	सारंगढ़	0.678	1.109	0.121	1.908
6	तमनार	0.519	1.627	0.027	2.173
योग		2.991	4.541	0.945	8.477

रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ आवेदित राजस्व वनभूमि			
क्र.	तहसील का नाम	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
1	बरमकेला	0.130	0.130
2	रायगढ़	0.074	0.074
3	तमनार	0.125	0.125
योग		0.329	0.329

रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित वन क्षेत्र का विवरण

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	सुहाई	आरक्षित वन	1275	1320.615	0.5	0.066
2			खरसिया	राबों	आरक्षित वन	1182	1535.901	0.5	0.077
3			खरसिया	राबों	आरक्षित वन	1183	7724.902	0.5	0.386
4			रायगढ़	राबों	आरक्षित वन	870	863.654	0.5	0.043
5			रायगढ़	राबों	आरक्षित वन	872	1923.217	0.5	0.096
6			रायगढ़	उर्दना	आरक्षित वन	882	1951.698	0.5	0.097
7			रायगढ़	उर्दना	आरक्षित वन	885	49.815	0.5	0.002
8			रायगढ़	उर्दना	आरक्षित वन	886	1158.231	0.5	0.058
9			रायगढ़	उर्दना	आरक्षित वन	892	3455.226	0.5	0.173
10			रायगढ़	उर्दना	आरक्षित वन	896	629.474	0.5	0.031
11			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	898	1449.352	0.5	0.072
12			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	899	1510.394	0.5	0.076
13			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	902	2036.178	0.5	0.102
14			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	919	320.058	0.5	0.016
15			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	923	1061.436	0.5	0.053
16			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	925	250.441	0.5	0.013
17			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	927	2981.303	0.5	0.148
18			रायगढ़	बरकछार	आरक्षित वन	928	4152.135	0.5	0.208
19			रायगढ़	बोइरदादर टारपाली	आरक्षित वन	966	914.361	0.5	0.046
20			रायगढ़	गजमार एवं विश्वनाथ पाली	आरक्षित वन	1010	611.352	0.5	0.031
21			सारंगढ़	बीजामाला	आरक्षित वन	1084	1152.695	0.5	0.058
22			सारंगढ़	बीजामाला	आरक्षित वन	1091	600.319	0.5	0.030
23			सारंगढ़	बीजामाला	आरक्षित वन	1092	1191.812	0.5	0.060
24			सारंगढ़	बूढ़ा	आरक्षित वन	1107	1387.629	0.5	0.069
25			सारंगढ़	बूढ़ा	आरक्षित वन	1108	1468.002	0.5	0.073
26			सारंगढ़	बूढ़ा	आरक्षित वन	1110	2880.272	0.5	0.144
27			सारंगढ़	नगलीगुड़ा	आरक्षित वन	1112	1604.683	0.5	0.080
28			सारंगढ़	भराली	आरक्षित वन	1122	3282.379	0.5	0.164
29			तमनार	सिलोट	आरक्षित वन	722	929.086	0.5	0.047
30			तमनार	सिलोट	आरक्षित वन	725	1008.593	0.5	0.050
31			तमनार	तोलगे	आरक्षित वन	758	728.009	0.5	0.036
32			तमनार	तोलगे	आरक्षित वन	784	1707.793	0.5	0.085
33			तमनार	तराईमाल	आरक्षित वन	829	907.791	0.5	0.045
34			तमनार	तराईमाल	आरक्षित वन	834	2174.807	0.5	0.109

35	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	तराईमाल	आरक्षित वन	838	1024.332	0.5	0.051
36			तमनार	समारुमा	आरक्षित वन	846	1200.606	0.5	0.060
37			तमनार	समारुमा	आरक्षित वन	847	728.697	0.5	0.036
आरक्षित वनभूमि का योग-							59877.248	0.5	2.991
38	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	जुआरी टांगर	संरक्षित वन	1260P	2521.136	0.5	0.126
39			घरघोड़ा	खरो डोंगरी	संरक्षित वन	1349P	1804.550	0.5	0.090
40			घरघोड़ा	तिलाईपाली	संरक्षित वन	1353P	603.281	0.5	0.030
41			घरघोड़ा	ताल	संरक्षित वन	1354P	1043.673	0.5	0.053
42			घरघोड़ा	जामझोर	संरक्षित वन	1357P	1220.650	0.5	0.061
43			रायगढ़	काटाझरिया	संरक्षित वन	806P	1701.716	0.5	0.085
44			रायगढ़	बडगांव	संरक्षित वन	809P	3902.937	0.5	0.195
45			रायगढ़	शिवपुरी	संरक्षित वन	881P	3810.692	0.5	0.191
46			रायगढ़	लाखा	संरक्षित वन	929P	907.342	0.5	0.045
47			रायगढ़	टूगनापानी	संरक्षित वन	931P	962.173	0.5	0.048
48			रायगढ़	भेलवांटिकरा	संरक्षित वन	933P	451.613	0.5	0.023
49			रायगढ़	छिरवानि उत्तर	संरक्षित वन	936P	178.834	0.5	0.009
50			रायगढ़	सम्बलपुरी	संरक्षित वन	949P	2807.841	0.5	0.140
51			रायगढ़	सम्बलपुरी	संरक्षित वन	951P	4751.583	0.5	0.238
52			रायगढ़	लामीदरहा	संरक्षित वन	964P	523.910	0.5	0.026
53			रायगढ़	रनई पहाड़	संरक्षित वन	971P	290.542	0.5	0.015
54			रायगढ़	झाराडिया	संरक्षित वन	972P	1748.760	0.5	0.087
55			रायगढ़	मनुवापाली	संरक्षित वन	982P	3682.830	0.5	0.184
56			रायगढ़	बेहरापाली	संरक्षित वन	994P	3175.936	0.5	0.159
57			सारंगढ़	दमका	संरक्षित वन	1064P	1978.456	0.5	0.099
58			सारंगढ़	टेकापाथर	संरक्षित वन	1079P	836.155	0.5	0.042
59			सारंगढ़	इमलीपाली	संरक्षित वन	1080P	3408.573	0.5	0.170
60			सारंगढ़	बनडोंगरी	संरक्षित वन	1097P	5121.769	0.5	0.256
61			सारंगढ़	सिरालीखोल	संरक्षित वन	1098P	1740.565	0.5	0.087
62			सारंगढ़	धौरादहरा	संरक्षित वन	1100P	3509.157	0.5	0.175
63			सारंगढ़	धौरादहरा	संरक्षित वन	1101P	2346.768	0.5	0.117
64			सारंगढ़	सीताचौक	संरक्षित वन	1103P	1595.704	0.5	0.080
65			सारंगढ़	डोंगरीपाली	संरक्षित वन	1115P	835.383	0.5	0.042
66			सारंगढ़	झिंकीपाली	संरक्षित वन	1116P	825.460	0.5	0.041
67			तमनार	करवाही	संरक्षित वन	738P	1457.102	0.5	0.073
68			तमनार	ढोलनारा पूर्व	संरक्षित वन	739P	512.555	0.5	0.026
69			तमनार	मुडागाँव	संरक्षित वन	740P	1023.494	0.5	0.051
70			तमनार	सरईटोला	संरक्षित वन	741P	1636.423	0.5	0.082
71			तमनार	खम्हरिया	संरक्षित वन	743P	1942.341	0.5	0.097
72			तमनार	पाता	संरक्षित वन	744P	1687.781	0.5	0.085
73			तमनार	केलो	संरक्षित वन	745P	1770.063	0.5	0.089
74			तमनार	कोयलार	संरक्षित वन	747P	97.401	0.5	0.005

75	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	जरीडीह	संरक्षित वन	748P	87.179	0.5	0.004
76			तमनार	हिंन्जर	संरक्षित वन	749P	2277.777	0.5	0.115
77			तमनार	पंडरीखोल	संरक्षित वन	752P	447.699	0.5	0.022
78			तमनार	देवडोंरी	संरक्षित वन	754P	1328.287	0.5	0.066
79			तमनार	बेन्दरा	संरक्षित वन	793P	990.438	0.5	0.050
80			तमनार	धौराभाठा	संरक्षित वन	796P	1007.700	0.5	0.050
81			तमनार	देवभुत	संरक्षित वन	807P	1062.339	0.5	0.053
82			तमनार	उज्जलपुर पूर्व	संरक्षित वन	810P	2270.690	0.5	0.114
83			तमनार	सराईपाली	संरक्षित वन	818P	978.127	0.5	0.049
84			तमनार	डेराटोंगरी	संरक्षित वन	825P	1364.905	0.5	0.068
85			तमनार	पाझर	संरक्षित वन	842P	386.654	0.5	0.019
86			तमनार	पूँजीपथरा	संरक्षित वन	844P	3263.969	0.5	0.163
87			तमनार	कचकोबा	संरक्षित वन	851P	3265.097	0.5	0.163
88			तमनार	औराईमुडा	संरक्षित वन	864P	3667.758	0.5	0.183

संरक्षित वनभूमि का योग-

90813.768 0.5 4.541

89	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	केराझर	नारंगी क्षेत्र	876 OA	2006.847	0.5	0.100
90			रायगढ़	परसदा	नारंगी क्षेत्र	877 OA	392.915	0.5	0.020
91			रायगढ़	कोसमखार	नारंगी क्षेत्र	878 OA	1210.129	0.5	0.061
92			रायगढ़	छिरवानी (पूर्व)	नारंगी क्षेत्र	946 OA	2076.211	0.5	0.104
93			रायगढ़	तिलगाडहर (ई)	नारंगी क्षेत्र	957 OA	4416.215	0.5	0.221
94			रायगढ़	अड़बहाल (अ)	नारंगी क्षेत्र	958 OA	1794.219	0.5	0.090
95			रायगढ़	मनुबापली	नारंगी क्षेत्र	986 OA	1507.597	0.5	0.075
96			रायगढ़	बनोरा	नारंगी क्षेत्र	1001 OA	2527.637	0.5	0.126
97			सारंगढ़	सोनाबहाल (उत्तर)	नारंगी क्षेत्र	1118 OA	471.141	0.5	0.025
98			सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	नारंगी क्षेत्र	1119 OA	1364.247	0.5	0.068
99			सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	नारंगी क्षेत्र	1120 OA	551.540	0.5	0.028
100			तमनार	समारुमा (उत्तर)	नारंगी क्षेत्र	845 OA	233.287	0.5	0.012
101			तमनार	कटुवाटिकरा	नारंगी क्षेत्र	860 OA	285.273	0.5	0.015

नारंगी क्षेत्र का योग-

18837.258 0.5 0.945

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	डोंगरीपाली	राजस्व वन	183/1	396.575	0.5	0.020
2			बरमकेला	झिकीपाली	राजस्व वन	257	198.723	0.5	0.010
3			बरमकेला	सोनबला	राजस्व वन	79/1	18.469	0.5	0.001
4			बरमकेला	सोनबला	राजस्व वन	86	35.621	0.5	0.002

5	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	सोनबला	राजस्व वन	89	136.384	0.5	0.007
6			बरमकेला	सोनबला	राजस्व वन	97	161.328	0.5	0.008
7			बरमकेला	दमदमा	राजस्व वन	271	102.581	0.5	0.005
8			बरमकेला	दमदमा	राजस्व वन	273	20.508	0.5	0.001
9			बरमकेला	दुलापाली	राजस्व वन	33	221.964	0.5	0.011
10			बरमकेला	मानिकपुर	राजस्व वन	278/2	272.458	0.5	0.014
11			बरमकेला	रोहेनापाली	राजस्व वन	8	48.625	0.5	0.002
12			बरमकेला	आमाकोनी बड़े	राजस्व वन	159/1	186.626	0.5	0.009
13			बरमकेला	डभरा	राजस्व वन	445	43.651	0.5	0.002
14			बरमकेला	डभरा	राजस्व वन	475/2	255.032	0.5	0.013
15			बरमकेला	अमलीपाली	राजस्व वन	81/3	45.943	0.5	0.002
16			बरमकेला	टेकापत्थर	राजस्व वन	73/1	86.055	0.5	0.004
17			बरमकेला	टेकापत्थर	राजस्व वन	55/1	39.896	0.5	0.002
18			बरमकेला	तरेकेला	राजस्व वन	18/1	151.200	0.5	0.008
19			बरमकेला	तरेकेला	राजस्व वन	22	172.626	0.5	0.009
20			रायगढ़	जामगांव	राजस्व वन	712/1	808.237	0.5	0.041
21			रायगढ़	जामगांव	राजस्व वन	200/1	336.677	0.5	0.017
22			रायगढ़	सपनान	राजस्व वन	163	24.331	0.5	0.001
23			रायगढ़	सपनान	राजस्व वन	69	29.868	0.5	0.001
24			रायगढ़	सपनान	राजस्व वन	71	17.999	0.5	0.001
25			रायगढ़	भगोरा	राजस्व वन	340/1	227.610	0.5	0.012
26			रायगढ़	दनौट	राजस्व वन	191	25.880	0.5	0.001
27			तमनार	गदगाव	राजस्व वन	63	289.343	0.5	0.014
28			तमनार	गदगाव	राजस्व वन	47	219.549	0.5	0.011
29			तमनार	उरबा	राजस्व वन	277/1	345.216	0.5	0.016
30			तमनार	उरबा	राजस्व वन	403/1	1015.746	0.5	0.052
31			तमनार	उरबा	राजस्व वन	415	329.658	0.5	0.016
32			तमनार	जोबरो	राजस्व वन	256/9	163.268	0.5	0.008
33			तमनार	लिबरा	राजस्व वन	201/3	156.158	0.5	0.008
राजस्व वनभूमि का योग—							6583.805	0.5	0.329
कुल योग—							176112.079	0.5	8.806

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

गैर वनक्षेत्र का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 37.519 हे. है।



संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का
मूल टोपोशीट स्केल 1:50000 पर**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :-	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
iii.	परियोजना की कुल लागत -	85 करोड़ 79 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु माँग कि गई वनभूमि न्युनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी रायगढ़।
vii.	सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार।

2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii	जिला -	रायगढ़
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	चेक लिस्ट क्र. 3 संलग्न।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा -	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं है अतः क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता -	0.4-0.6
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.

viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां -	नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	नहीं है।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	इस परियोजना में व्यक्तियों का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना -	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -	आवश्यक नहीं है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -	आवश्यक नहीं है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -	आवश्यक नहीं है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	आवश्यक नहीं है।

vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	a. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	c. मार्ग का अधिकार -	आवश्यक नहीं है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -	आवश्यक नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	
i	कुल आवाह क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	कुल जलाशय स्तर -	आवश्यक नहीं है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर -	आवश्यक नहीं है।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	आवश्यक नहीं है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	आवश्यक नहीं है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नहीं है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
xiii	कुल वित्तीय परिच्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	आवश्यक नहीं है।

8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
iii	पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	आवश्यक नहीं है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	आवश्यक नहीं है।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -	आवश्यक नहीं है।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -	आवश्यक नहीं है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें -	आवश्यक नहीं है।
ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन -	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना -	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।

	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां -	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेलवे मार्ग/रज्जु मार्ग काकांकेर कांकेर निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नहीं है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
xiii	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -	आवश्यक नहीं है।
xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
xv	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण -	आवश्यक नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नहीं) यदि हां तो -	आवेदक द्वारा आवेदित वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -	-----
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	-----
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -	-----

	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -	-----
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -	
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -	
	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति -	
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका -	
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें -	प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

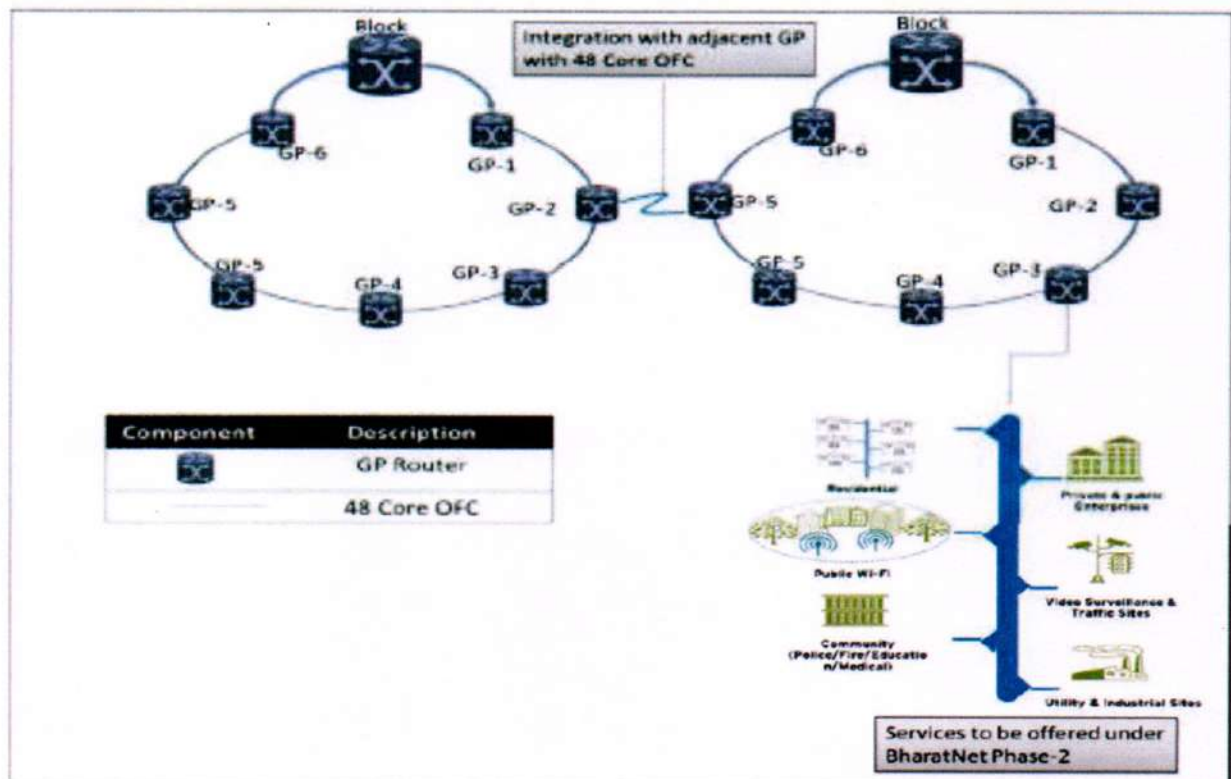
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप

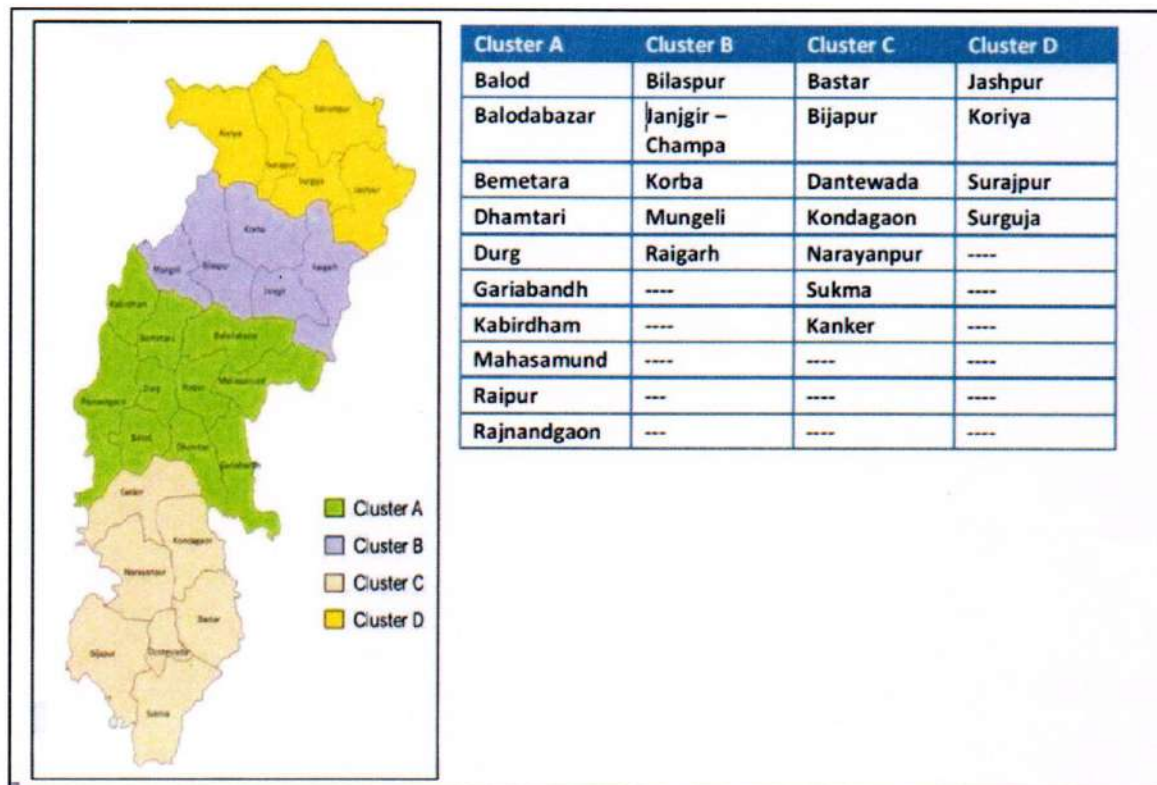
भारतनेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। भारत में दूरसंचार को बेहतर बनाने और डिजिटल इंडिया के अभियान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगभग 625,000 गांवों को 250,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। भारतनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी नहीं है।



1 नवंबर 2001 को गठित छत्तीसगढ़ भारत का 29 वां राज्य है, जो 135,194 वर्ग किमी के क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10 वां सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 25.541 मिलियन, छत्तीसगढ़ की आबादी है जो देश में 17 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का 12% कांकर वन छत्तीसगढ़ में हैं और राज्य की 44% भूमि वनों के अंतर्गत है। हरित राज्य छत्तीसगढ़ में भारत के सबसे घने जंगल हैं, समृद्ध वन्यजीव हैं, सबसे अमीर जैव विविधता में से एक के रूप में इसकी पहचान है। छत्तीसगढ़ का एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है, ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में घने जंगलों वाले इलाकों में है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके

अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

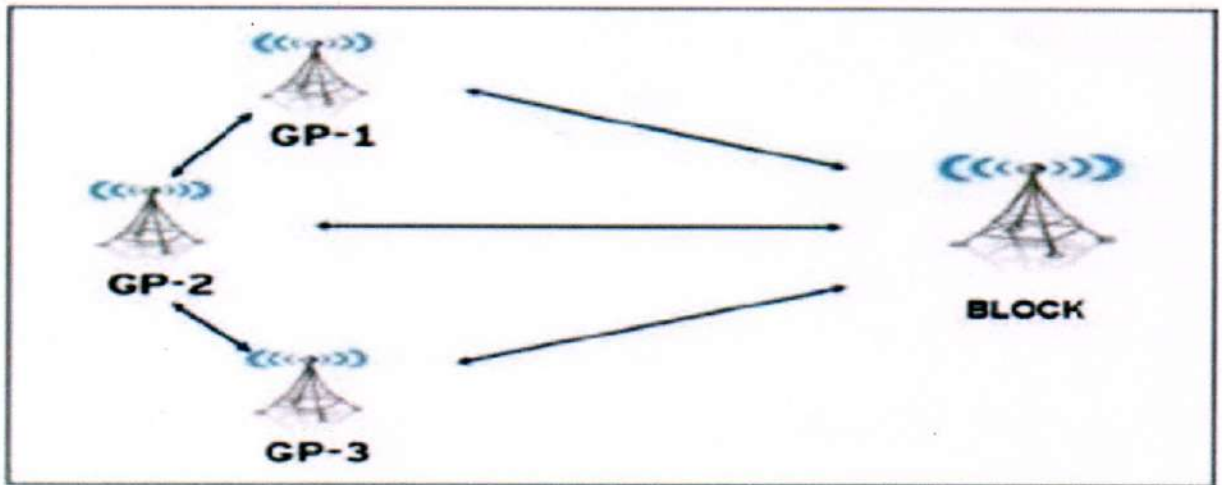
परियोजना को क्लस्टर दृष्टिकोण में लागू किया जाएगा जिसमें राज्य के समस्त जिले समावेशित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है।



छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS), छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रवर्तित एक पंजीकृत सोसायटी है जो भारतनेट परियोजना के लिए नोडल एजेंसी और प्रमुख प्रस्तावक है। जिसकी जिम्मेदारी परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करना, परियोजना का निष्पादन करना, परियोजना की मोनिटरिंग करना तथा परियोजना के सम्बन्ध में कार्यकारी निर्णय लेना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

Point of Presence	Quantity	Prerequisites
Block PoPs	85	The space for the PoPs at Block level shall be provided at SWAN PoP at BHQ, wherein CHiPS shall provide the necessary air-conditioning, raw power and backup for the Active Network components
GP PoPs	5,987	The Space for the GP PoP shall be provided by CHiPS at the Panchayat Bhawan. The MSI shall provide the necessary infrastructure for Fibre management system, rack/s, redundant power supply, networking equipment and proper earthing At places where space is not available at Panchayat Bhawan, the MSI shall coordinate with CHiPS representative to seek clarity for the alternate location of the PoP



छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS), रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु 'मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' को "कार्यान्वयन सहभागी" नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन की निःशुल्क मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे की अनुमति प्रदान की गई है।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़



न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि कुल रकबा 8.806 हे. बाबत समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया ।

प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का
विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



अधिनियम वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" रायगढ़ के अन्तर्गत रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	8.806 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कांकेर	रायगढ़	बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत।
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
क. आरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
	घरघोड़ा	सुहाई	1275	0.066
	खरसिया	राबो	1182	0.077
	खरसिया	राबो	1183	0.386
	रायगढ़	राबों	870	0.043
	रायगढ़	राबों	872	0.096
	रायगढ़	उर्दना	882	0.097
	रायगढ़	उर्दना	885	0.002
	रायगढ़	उर्दना	886	0.058
	रायगढ़	उर्दना	892	0.173
	रायगढ़	उर्दना	896	0.031
	रायगढ़	बरकछार	898	0.072
	रायगढ़	बरकछार	899	0.076
	रायगढ़	बरकछार	902	0.102
	रायगढ़	बरकछार	919	0.016
	रायगढ़	बरकछार	923	0.053

		रायगढ़	बरकछार	925	0.013
		रायगढ़	बरकछार	927	0.148
		रायगढ़	बरकछार	928	0.208
		रायगढ़	बोइरदादर टारपाली	966	0.046
		रायगढ़	गजमार एवं विश्वनाथ पाली	1010	0.031
		सारंगढ़	बीजामाला	1084	0.058
		सारंगढ़	बीजामाला	1091	0.030
		सारंगढ़	बीजामाला	1092	0.060
		सारंगढ़	बूढ़ा	1107	0.069
		सारंगढ़	बूढ़ा	1108	0.073
		सारंगढ़	बूढ़ा	1110	0.144
		सारंगढ़	नगलीगुड़ा	1112	0.080
		सारंगढ़	भराली	1122	0.164
		तमनार	सिलोट	722	0.047
		तमनार	सिलोट	725	0.050
		तमनार	तोलगे	758	0.036
		तमनार	तोलगे	784	0.085
		तमनार	तराईमाल	829	0.045
		तमनार	तराईमाल	834	0.109
		तमनार	तराईमाल	838	0.051
		तमनार	समारुमा	846	0.060
		तमनार	समारुमा	847	0.036
		योग			2.991
ख. संरक्षित वन		परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		घरघोड़ा	जुआरी टांगर	1260P	0.126
		घरघोड़ा	खरो डोंगरी	1349P	0.090
		घरघोड़ा	तिलाईपाली	1353P	0.030
		घरघोड़ा	ताल	1354P	0.053
		घरघोड़ा	जामझोर	1357P	0.061
		रायगढ़	काटाझरिया	806P	0.085
		रायगढ़	बडगांव	809P	0.195
		रायगढ़	शिवपुरी	881P	0.191
		रायगढ़	लाखा	929P	0.045
		रायगढ़	टूंगनापानी	931P	0.048
		रायगढ़	भेलवांटिकरा	933P	0.023
		रायगढ़	छिरवानि उत्तर	936P	0.009
		रायगढ़	सम्बलपुरी	949P	0.140
		रायगढ़	सम्बलपुरी	951P	0.238
		रायगढ़	लामीदरहा	964P	0.026
		रायगढ़	रनई पहाड़	971P	0.015

	रायगढ़	झाराड़िया	972P	0.087	
	रायगढ़	मनुवापाली	982P	0.184	
	रायगढ़	बेहरापाली	994P	0.159	
	सारंगढ़	दमका	1064P	0.099	
	सारंगढ़	टेकापाथर	1079P	0.042	
	सारंगढ़	इमलीपाली	1080P	0.170	
	सारंगढ़	बनडोंगरी	1097P	0.256	
	सारंगढ़	सिरालीखोल	1098P	0.087	
	सारंगढ़	धौरादहरा	1100P	0.175	
	सारंगढ़	धौरादहरा	1101P	0.117	
	सारंगढ़	सीताचौक	1103P	0.080	
	सारंगढ़	डोंगरीपाली	1115P	0.042	
	सारंगढ़	झिंकीपाली	1116P	0.041	
	तमनार	करवाही	738P	0.073	
	तमनार	ढोलनारा पूर्व	739P	0.026	
	तमनार	मुडागाँव	740P	0.051	
	तमनार	सरईटोला	741P	0.082	
	तमनार	खम्हरिया	743P	0.097	
	तमनार	पाता	744P	0.085	
	तमनार	केलो	745P	0.089	
	तमनार	कोयलार	747P	0.005	
	तमनार	जरीडीह	748P	0.004	
	तमनार	हिंन्जर	749P	0.115	
	तमनार	पंडरीखोल	752P	0.022	
	तमनार	देवडोंरी	754P	0.066	
	तमनार	बेन्दरा	793P	0.050	
	तमनार	धौराभाठा	796P	0.050	
	तमनार	देवभुत	807P	0.053	
	तमनार	उज्जलपुर पूर्व	810P	0.114	
	तमनार	सराईपाली	818P	0.049	
	तमनार	डेराटोंगरी	825P	0.068	
	तमनार	पाझर	842P	0.019	
	तमनार	पूँजीपथरा	844P	0.163	
	तमनार	कचकोबा	851P	0.163	
	तमनार	औराईमुडा	864P	0.183	
	योग				4.541
	ग. नारंगी क्षेत्र	रायगढ़	केराझर	876 OA	0.100
		रायगढ़	परसदा	877 OA	0.020
		रायगढ़	कोसमखार	878 OA	0.061
		रायगढ़	छिरवानी (पूर्व)	946 OA	0.104
रायगढ़		तिलगाडहर (ई)	957 OA	0.221	
रायगढ़		अड़बहाल (अ)	958 OA	0.090	

		रायगढ़	मनुबापली	986 OA	0.075
		रायगढ़	बनोरा	1001 OA	0.126
		सारंगढ़	सोनाबहाल (उत्तर)	1118 OA	0.025
		सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	1119 OA	0.068
		सारंगढ़	सोनाबहाल (दक्षिण)	1120 OA	0.028
		तमनार	समारुमा (उत्तर)	845 OA	0.012
		तमनार	कटुवाटिकरा	860 OA	0.015
		योग			
घ. राजस्व वन क्षेत्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	
	बरमकेला	डोंगरीपाली	183/1	0.020	
	बरमकेला	झिकीपाली	257	0.010	
	बरमकेला	सोनबला	79/1	0.001	
	बरमकेला	सोनबला	86	0.002	
	बरमकेला	सोनबला	89	0.007	
	बरमकेला	सोनबला	97	0.008	
	बरमकेला	दमदमा	271	0.005	
	बरमकेला	दमदमा	273	0.001	
	बरमकेला	दुलापाली	33	0.011	
	बरमकेला	मानिकपुर	278/2	0.014	
	बरमकेला	रोहेनापाली	8	0.002	
	बरमकेला	आमाकोनी बड़े	159/1	0.009	
	बरमकेला	डभरा	445	0.002	
	बरमकेला	डभरा	475/2	0.013	
	बरमकेला	अमलीपाली	81/3	0.002	
	बरमकेला	टेकापत्थर	73/1	0.004	
	बरमकेला	टेकापत्थर	55/1	0.002	
	बरमकेला	तरेकेला	18/1	0.008	
	बरमकेला	तरेकेला	22	0.009	
	रायगढ़	जामगांव	712/1	0.041	
	रायगढ़	जामगांव	200/1	0.017	
	रायगढ़	सपनान	163	0.001	
	रायगढ़	सपनान	69	0.001	
	रायगढ़	सपनान	71	0.001	
	रायगढ़	भगोरा	340/1	0.012	
	रायगढ़	दनौट	191	0.001	
	तमनार	गदगाव	63	0.014	
	तमनार	गदगाव	47	0.011	
	तमनार	उरबा	277/1	0.016	
	तमनार	उरबा	403/1	0.052	

		तमनार	उरबा	415	0.016
		तमनार	जोबरो	256/9	0.008
		तमनार	लिबरा	201/3	0.008
		योग			0.329
	कुल योग :-				8.806 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार			आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ. एफ.सी. लाइन विद्यमान राइट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण			मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है । वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।	
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति			आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति सामान्य है।	
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)			आवश्यकता नहीं है।	
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।			प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गोमर्डा अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)			मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है ।	

12.	आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	नहीं।
-----	--	-------

प्रमाण – प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल: रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़.

दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला – रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" रायगढ़
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	8.806 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी क्षेत्र, एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं हैं अतः क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग अपरिहार्य और न्यूनतम हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें हैं।	नहीं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।

5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	683635 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	1529.596 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	58 प्रकरण 3396.325 हेक्टर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	हेक्टर हेक्टर
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	हेक्टर हेक्टर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 8.806 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :-

स्थान :-


 वनमण्डलाधिकारी,
 रायगढ़ वनमण्डल,
 जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

भाग III
(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 1 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या :-
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
- 2 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी :-
गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
- 3 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे :-
में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वन वृत्त, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन
विभाग
द्वारा भरे जाने के लिये)

- 1 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :-
करने या अन्यथा के लिये राज्य वन
विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट
सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-

स्थान :- नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

“भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2” के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है । (प्रपत्र संलग्न)

इसी तारतम्य में रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक-4-4/2018/56/इ.सू.प्रौ.: राज्य शासन एतद्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 4-54/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 26/06/2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतानेट परियोजना अंतर्गत निम्नालिखित मार्ग के किनारों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राईट ऑफ वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है :-

जिला का नाम	जिलेवार प्रदत्त राईट ऑफ वे की अनुमति (कि.मी.)
वालोद	2239.042
बलौदाबाजार	1580.163
बरतार	1297.671
वेमैतरा	1360.586
बीजापुर	582.665
विलासपुर	1798.250
दत्तेवाड़ा	357.884
धमतरी	821.845
दुर्ग	427.459
गरियाबंद	1978.244
जांजगीर-चापा	2089.163
जशपुर	570.788
कवोरधाम	1669.394
काकोर	2014.129
कोण्डागांव	560.121
कोरबा	1016.073
कोरिया	2577.970
महारागुन्ड	1395.313
मुंगेली	747.039
नारायणपुर	101.137
रायगढ़	2006.000
रायपुर	1340.250
राजनादगांव	2331.905

जिला का भाग	नियोजक प्रदत्त राईट ऑफ़ के अनुमति (कि.मी.)
सुकमा	267.751
सुरजपुर	895.473
सरगुजा	968.482
कुल	33195.827

यह कार्य, विभाग की नोडल एजेंसी चिप्स द्वारा शासकीय मार्गों पर किया जा रहा है। अतः इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी को बैंक गारंटी से मुक्त रखा जाता है, परन्तु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व गड़दों का भराव, सड़क या उनके किनारों की मरम्मत आदि करना होगा। चिप्स में एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी का विमुक्तिकरण, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सड़क, उसके किनारों में दूट-फूट, और खोदे गये गड़दों का भराव संतोषप्रद रूप से करने के उपरान्त ही किया जाए।

चिप्स द्वारा पृथकतः सक्षम अधिकारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, वन मार्ग एवं रेलवे क्रासिंग के राईट ऑफ़ वे के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एलेक्स पॉल मेनन)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

चेक लिस्ट क्रमांक -14

जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)

रायगढ़ जिले की कुल वन भूमि रकबा 324301.500 हे. है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

चेक लिस्ट क्रमांक -15

**व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में
प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में**

व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 64 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा
3758.555 हे. है।


वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

**व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में
इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में।**

व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के 1 स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 0.016 हे. है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

चेक लिस्ट क्रमांक -17

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गोमर्डा अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं
कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.806 Hact.** forest land proposed to be diverted in favour of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G** (Name of User Agency) for Laying Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (purpose for Diversion of forest land) in Raigarh Forest Division falls within Jurisdiction of Raigarh District i.e. Baramkela, Tamnar and Raigarh Block. It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.806** hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (Not Applicable)
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it: (Not Applicable)
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. As the Purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.g. for laying underground Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (A Part of Digital India).

(Bhim Singh)
District Collector
Raigarh

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



125

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक/ 787 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक / / 2020

✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी(CHIPS)
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के रायगढ़ वनमण्डल के बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लाक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.329 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वनभूमिरकबा 8.477 हे.कुल भूमि 8.806 हे. का FRA प्रतिवेदन मार्ग समानांतर प्रस्तावित आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर के नाम से प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर के पत्र क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/33 रायपुर दिनांक 28.01.2020।

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत रायगढ़ जिला क्षेत्र के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांगत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लाक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है।

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.)	मद(छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	रिमार्क
1	बरमकेला	डोंगरीपाली	183 / 1	0.020	छोटे झाड़ के जंगल	
2	बरमकेला	झिंकीपाली	257	0.010		
3	बरमकेला	सोनबला	79 / 1	0.001		
4	बरमकेला	सोनबला	86	0.002		
5	बरमकेला	सोनबला	89	0.007		
6	बरमकेला	सोनबला	97	0.008		
7	बरमकेला	दमदमा	271	0.005		
8	बरमकेला	दमदमा	273	0.001		
9	बरमकेला	दुलापाली	33	0.011		
10	बरमकेला	मानिकपुर	278 / 2	0.014		
11	बरमकेला	रोहेनापाली	8	0.002		
12	बरमकेला	आमाकोनी बड़े	159 / 1	0.009	छोटे झाड़ के जंगल	
13	बरमकेला	डभरा	445	0.002		
14	बरमकेला	डभरा	475 / 2	0.013		
15	बरमकेला	अमलीपाली	81 / 3	0.002		
16	बरमकेला	टेंकापत्थर	73 / 1	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
17	बरमकेला	टेंकापत्थर	55 / 1	0.002		
18	बरमकेला	तरेकेला	18 / 1	0.008		
19	बरमकेला	तरेकेला	22	0.009		

20	रायगढ़	जामगांव	712 / 1क	0.041	छोटे झाड़ के जंगल	
21	रायगढ़	जामगांव	200 / 1	0.017		
22	रायगढ़	सपनई	69	0.001		
23	रायगढ़	सपनई	71	0.001		
24	रायगढ़	सपनई	163	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
25	रायगढ़	भगोरा	340 / 1	0.012	छोटे झाड़ के जंगल	
26	रायगढ़	दनौट	191	0.001		
27	तमनार	गदगांव	63	0.014		
28	तमनार	गदगांव	47	0.011		
29	तमनार	उरबा	277 / 1	0.016	बड़े झाड़ के जंगल	
30	तमनार	उरबा	403 / 1	0.052	छोटे झाड़ के जंगल	
31	तमनार	उरबा	415	0.016		
32	तमनार	जोबरो	256 / 9	0.008		
33	तमनार	लिबरा	201 / 3	0.008		
योग			33	0.329		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वनभूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ. क्रमांक / 787A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 7/7/2020

1. सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ।

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्तर्गत प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/45093/2019

दिनांक 19.08.2020 को आंबाटित किया गया है।

आवेदक से पंजीयन शुल्क रु. 6000.00 तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क रु. 18000.00 कुल राशि 24000.00 इंडसइंड बैंक के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 79119 तथा 79120 दिनांक 04/09/2002 को वन मण्डलाधिकारी कांकर के नाम प्रस्तुत किया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर16..... एवं दिनांक 06/10/2020 द्वारा वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

04/11/2020 कस 11398721
2) 398714

Rew H & M.C.P. & Bear (B.L.) Subsidiary Rules/19 & 23 Under Treasury Rule 10
Challan Only Paid into the State Bank of India Chakradhar Nagar Raigarh/Treasury
(To be presented at the single or Duplicate or Triplicate as the Case may be)
(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकलें जैसे कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom Brought कौन लाया	On What Account किस बाबत	Under Rs.	Amount किस बाबत
वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़	कार्यलय चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छ.ग. के पत्र क्रमांक/1834/समुकाअ/चिप्स/ दिनांक 23.10. 2020 द्वारा वनक्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन कार्य हेतु पंजीयन शुल्क रु. 6000.00 डी.डी. क्रमांक 398721 दिनांक 21.10.2020 एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 18000.00 डी.डी. क्रमांक 398714 दिनांक 21.10. 2020 कुल 24000.00 रु. का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया है। कुल राशि रुपये 24000.00 इण्डस्ट्रीयल बैंक रायपुर	Rupees Twenty Four Thousand One Only	24000.00
			24000.00

Rupees Twenty Four Thousand Only

HEAD OF REVENUE MAJOR HEAD DETAILED HEAD	8443-100 पी.डी. लेखा	Detail तफसील By Chaque	24000.00
		Nate जोड़	0.00
		Cash नगदी	0.00
		Total मीलान	24000.00

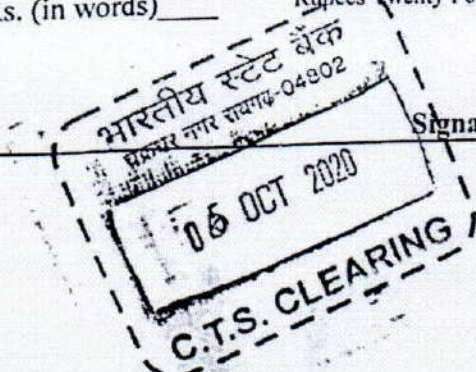
Cetrified that amount shown above has been entered in the Department
Register the head of Revenue indicated above space

ated :- 31/10/2020

Signature Tenderer

[FOR USE TREASURY]
(खजाने में इस्तेमाल के लिए)

Examined	Received	Entered
	Rs. (in figures) 24000.00 Rs. (in words) Rupees Twenty Four Thousand Only	
Initials of Accountant	Signature of Treasurer	Signature of Accountant



राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है जो कि किसी राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से नहीं गुजर रहा है।

अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).